

आदेशिका

२५^२ अधिवक्ता जार्जी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पूर्ण
रनिम्न होकर पेश हुआ है। अतः अतः
द्वि दिनांक २६.०२.२१ को पेश हो

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ
जिला-राजसमन्

२६ ^{०२}/_{२०२१}

पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता जार्जी द्वारा
द्वि अधिवक्ता जार्जी को कस सुनी गई।
एवं पत्रावली का प्रयोग कि प्रमाण
पर मत परन्तु न्यायादि में जार्जी
का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाय
न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः जार्जी
का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर
पुनः दिनांक १७/०२/१९ प्रार्थनापत्र
दिनांक १८.०२.२१ को पुनः मसूदा
पर लेने का प्रवेश किया गया है। पत्रावली
केवल शुभ होकर मसूदा से भ्रम
है। निष्पत्ति खुले न्यायालय में
सुलभ किया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ
जिला-राजसमन्

